रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032021-225956
CG-DL-E-17032021-225956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 2021/फाल्गुन 26, 1942
No. 146] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 2021/PHALGUNA 26, 1942

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

सा.का.नि. 195 (अ) .— केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप-नियम (2) में,-

i. खंड (क) में, अंत में आने वाले शब्द 'और' को लोप किया जाएगा;

ii. खंड (ख) में, शब्दों "राज्य सरकार के स्वामित्व में न" के स्थान पर शब्दों "राज्य सरकार के स्वामित्व में न; और" रखा जाएगा;

iii. खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 5 के अनुसार स्थापित खनिज तत्वों की विद्यमानता वाले किसी क्षेत्र के संबंध में खनन पट्टे की नीलामी के मामले में उत्पादन के प्रारंभ की नियत तारीख।"

3. उक्त नियमों के नियम 13 में उप नियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:,-

"परंतु खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 5 के अनुसार स्थापित खनिज तत्वों की विद्यमानता वाले किसी क्षेत्र के संबंध में खनन पट्टे की नीलामी के मामले में, पट्टेधारक को निविदा दस्तावेज में यथा निर्धारित उत्पादन प्रारंभ करने की नियत तारीख से पहले उत्पादित तथा प्रेषित खनिज की मात्रा के लिए, नियम 8 के तहत उद्धृत रकम का केवल पचास प्रतिशत पट्टेधारक को संदाय करेगा :

परंतु और कि उत्पादित और प्रेषित खनिज की ऐसी मात्रा के लिए, उप-नियम (1), (3) और (4) में यथा विर्निदिष्ट अन्य भुगतान पूर्ण संदेय होगा और सफल बोलीदाता सभी आवश्यक अनुमोदन, अनुमति, अनुज्ञप्ति और किसी विधि के तहत जो उत्पादन पहले शुरू करने के लिए तत्समय प्रवृत्त के लिए अपेक्षित हैं।

स्पष्टीकरण .- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, स्पष्ट किया गया है कि नियम 8 के अधीन उद्धृत रकम के भुगतान पर प्रथम परंतुक में विर्निदिष्ट प्रोत्साहन उत्पादन प्रारंभ करने की वास्तविक तारीख और नियत तारीख के बीच उत्पादित और प्रेषित खनिज की मात्रा पर लागू होगा ।

[फा. सं. 16/2/2021-एम.VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- खनिज (नीलामी) नियम, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 406(अ) – तारीख 20 मई, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और अंतिम रूप से के सा.का.नि. 1469[अ] तारीख 30 नवम्बर, 2017 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2021

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, in sub rule (2), —

(i) in clause (a), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(ii) in clause (b), for the words "not owned by the State Government.", the words " not owned by the State Government; and" shall be substituted;

(iii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) the scheduled date of commencement of production in case of auction of mining lease in respect of an area having existence of mineral contents established in accordance with rule 5 of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015. ".

3. In rule 13 of the said rules, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided that in case of auction of mining lease in respect of an area having existence of mineral contents established in accordance with rule 5 of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, the lessee shall pay only fifty per cent. of the amount quoted under rule 8, for the quantity of mineral produced and dispatched earlier than the scheduled date of commencement of production as given in the tender document:

Provided further that for such quantity of mineral produced and dispatched, other payments as specified in sub-rules (1), (3) and (4) shall be payable in full and the successful bidder shall obtain all necessary approvals, permissions, licences and the like as may be required under any law for the time being in force for starting early production.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, it is clarified that the incentive specified in the first proviso on payment of amount quoted under rule 8 shall be applicable on the quantity of mineral produced and dispatched between actual date and the scheduled date of commencement of production.".

[F. No.16/2/2021-M.VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:- The Mineral (Auction) Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide notification* number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and lastly amended *vide* number G.S.R. 190(E), dated the 20th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.17 16:06:20 +05'30'